राजस्थान-सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 3/2024
जी.सी.एम.एस. संख्या– 2024/21
दायर दिनांक– 08.02.2024
निर्णय दिनांक– 03.05.2024

उनवानी–

1. मैसर्स कामधेनु ग्रीन एनर्जी जरिये भागीदार–कृष्ण कान्त राठी पुत्र श्याम सुंदर राठी जाति माहेश्वरी एवं विशाल राठी पुत्र प्रकाश चन्द राठी जाति माहेश्वरी पंजीयत कार्यालय मकान संख्या बी–33ए कॉलोनी लक्ष्मी नारायण विहार कॉलोनी मदनगंज–किशनगढ़, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री अरविन्द दाधीच, अधि0 प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम दरडून्द पटवार हल्का निटूटी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ में स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार नवीन खाता संख्या 7 के ख0न0 38 रकबा 0.0161 है0, ख0न0 39 रकबा 1.9011 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.9172 है0 भूमि है जिसमें राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी का हिस्सा राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में अन्तर्निहित है। उक्त राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में स्वतः स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1265 दिनांक 31.01.2024 को खुला बेचान के बाद जिसमें तकनीकी त्रुटि के कारण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मैसर्स कामधेनु ग्रीन एनर्जी जरिये भागीदार का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में 4 व 5 नम्बर पर दर्ज हो गया जबकि केवल राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में 4 नम्बर में ही दर्ज होना था। जिसको अब तकनीकी त्रुटि कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुये प्रार्थी के नाम 4 नम्बर में ही 5 नम्बर को सम्मिलित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती करते हुए तथा राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में 4 नम्बर पर ही मैसर्स कामधेनु ग्रीन एनर्जी [illegible]दार कर राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में 5 नम्बर को 4 में सम्मिलित करवाकर दुरूस्ती करवाना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 को भूमिधारी(लैण्ड होल्डर) होने से प्रार्थना–पत्र में [illegible] किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.06.11 16:54:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

वकील प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि जरिये खुला बैचान बाद जिसमें तकनीकी त्रुटि के कारण राजस्व रिकार्ड में मैसर्स कामधेनु ग्रीन एनर्जी जरिये भागीदार का इन्द्राज जमावन्दी में 4 व 5 नम्बर पर दर्ज हो गया था जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में 4 नम्बर पर ही दर्ज होना था, जिस तकनीकी त्रुटि को दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। तहसीलदार रूपनगढ (अप्रार्थी) की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थीगण मैसर्स कामधेनु ग्रीन एनर्जी जरिये भागीदार कृष्णकांत व विशाल के द्वारा कार्यालय उप पंजीयक रूपनगढ़ में प्रस्तुत विक्रय पत्र कृषि भूमि ग्राम दरडून्द में क्रय में क्रेतागण का नाम पता व विवरण में मैसर्स कामधेनु ग्रीन एनर्जी जरिये भागीदार 1. कृष्णकांत राठी व 2. विशाल राठी का दो नामों के अलग–अलग भागीदार सहित विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया जो विक्रय पत्र अनुसार स्वतः नामान्तरकरण प्रकिया में दोनों भागीदारों के नाम दर्ज हुए। रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में सेग्रीगेशन पश्चात ई धरती सॉफ्टवेयर में किये गये प्रावधानानुसार किसी भी इन्द्राज में एक से अधिक व्यक्तियों के नाम होते है तो सॉफ्टवेयर के प्रावधानानुसार व उसको अलग–अलग इन्द्राज करता है तथा उसी अनुरूप उनका हिस्सा दर्ज होता है। तकनीकी त्रुटि के कारण सॉफ्टवेयर में दोनो साझेदारों का एक साथ नाम अंकित नहीं होगा। ग्राम दरडून्द के ख0न0 38 का सम्पूर्ण विक्रय होने से केवल साझेदारों का अंकन मैसर्स कामधेनु ग्रीन एनर्जी जरिये भागीदार 1. कृष्णकांत राठी व 2. विशाल राठी का अंकन ही आना चाहिए जबकि विक्रेता के नामों का अकन रह गया है। विक्रय पत्र अनुसार ख0न0 38 के इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने में कार्यालय को आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में इन्द्राज दुरूस्ती आदेश फरमाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाव को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी अंतिम चौसाला आधार संवत 2070–2073 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी संलग्न है जिसमें स्वतः स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 1265 दिनांक 31/01/2024 का उल्लेख है एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादन दिनांक 31.01.2024 की प्रतिलिपि संलग्न है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अध्ययन, अवलोकन व उभय पक्ष की वहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली में संलग्न मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादन क्रमांक 202403352100200 दिनांक 31.01.2024 अनुसार इंद्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.06.11 13:54:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड-अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)